ग्राम दादू दयालनगर तहसील बाप के खसरा नं. 266 रकबा 102.09 बीघा एवं खसरा नं. 262 रकबा 95.16 बीघा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश पारित किया जाना पाया जाता है तथा कोविड-19 महामारी के संक्रमण के चलते घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अपीलांट समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधियिम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 266 रकबा 102.09 बीघा व खसरा नं. 95.16 बीघा **संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसका विभाजन का दावा विचाराधीन है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश के जरिये संयुक्त खातेदारी की भूमि में केवल रेस्पोडेंट का कब्जा मानकर अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना पाया जाता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 56/2021 अनवान जालाराम बनाम सुरजाराम में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 22 जनवरी 2021 को अपास्त किया जाकर **उभय पक्ष को दावे के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादग्रस्त भूमि**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 त्रुटिपूण है। विद्वान सहायक कलक्टर ने अपीलांट अप्रार्थी का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि कारित की है, जबकि मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट अप्रार्थी द्वारा व पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी को बिना प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत ट्रेस नक्शे/हस्तलिखित नक्शे के आधार पर प्रार्थी अकेले का कब्जा मानने में विधिक त्रुटि की है। एक खातेदार काश्तकार दूसरे संयुक्त खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन होने के कारण एवं न्यायालय की नियमित कार्यवाही नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश को कई महिनों बाद लिखाया जाकर सुनाते ही प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2021 को पेश कर प्रमाणित नकल दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त कर जोधपुर जाकर अधिवक्ता से सलाह मशविरा करने में समय लगने से व अपील पेश करने में देरी का सद्भाविक कारण है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 जनवरी 2021 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट विवादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अपीलांट्स ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये अस्थाई व्यादेश विवादग्रस्त भूमि ग्राम दादू दयालनगर तहसील बाप के खसरा नं. 266 रकबा 102.09 बीघा एवं खसरा नं. 262 रकबा 95.16 बीघा भूमि पर दावे के निस्तारण तक अप्रार्थी को मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया, जिसके खिलाफ आलोच्य अपील पेश की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश दिनांक 22.01.2021 को पारित करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों बहस पर मनन किये बिना, बिना परिसीलन किये पारित आदेश विधिसम्मत् नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट प्रार्थी अकेले का कब्जा मानने में त्रुटि की है। रेस्पोडेंट स्वयं के प्रार्थना पत्र में विवादित खसरों की भूमि को संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार किया है, इस कारण व्यथित आदेश अपास्त योग्य है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सयुंक्त खातेदारी कृषि भूमि के प्रत्येक हिस्से व प्रत्येक इंच पर हर काश्तकार का आधिप्य व भौतिक कब्जा होता है और माना जायेगा, इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2021-244Ju2021-123 Surjaram Vs Jalaram

सुरजाराम पुत्र श्री रेवंतराम जाति मेघवाल, निवासी- दादु दयाल नगर, चाम्पासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

जालाराम पुत्र श्री रेवंतराम जाति मेघवाल, निवासी- दादु दयाल नगर, चाम्पासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 22 जनवरी 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2019 जालाराम बनाम सुरजाराम

--- 0 ---

उपस्थित-

श्री जे. गहलोत, अधिवक्ता-अपीलांट
श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्ता, रेस्पो

नि र्ण य

दिनांक : 02 नवबरं 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 56/2019 अनवान जालाराम बनाम सुरजाराम में पारित आदेश दिनांक 22 जनवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 15 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर